मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1536
09.02.2026 को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र

1536. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है;
(ग) राज्य की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में राज्य में संरक्षण परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि कितनी है;
(ङ) क्या सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए किसी नई पहल की योजना बनाई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्विवार्षिक रूप से देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर-2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड किया गया वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% है।

(ख): मध्य प्रदेश राज्य में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं।

(ग) तथा (घ): वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वन्यजीव पर्यावासों का विकास (डीडब्ल्यूएच) और बाघ और हाथी परियोजना, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, पर्यावास सुधार, शिकार-रोधी उपाय, संरक्षण नेटवर्क को मजबूत करना, फायर लाइनों का रखरखाव, खरपतवार उन्मूलन, पारिस्थितिकी विकास, सामुदायिक जागरूकता, क्षमता निर्माण, स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास आदि के तहत मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश राज्य को इन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि वर्ष 2022-23 में 4233.82 लाख रुपये, वर्ष 2023-24 में 4775.61 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 6642.391 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 (आज तक) के दौरान 3424.96 लाख रुपये है।

(ङ) तथा (च): मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-1 के तहत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक" अधिसूचित करता है। अब तक, 79 उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। अनुपालन न करने की स्थिति में, पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के तहत उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सीपीसीबी ने सभी 17 श्रेणियों के उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों, सामान्य खतरनाक अपशिष्ट और बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक, सामान्य अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (सीईटीपी), गंगा और यमुना बेसिन में सकल प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई), एनसीआर-दिल्ली में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट जल/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

ओसीईएस के माध्यम से उत्पन्न व्यापार अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों के वास्तविक समय के 24x7 के आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को संसाधित करता है और प्रदूषक मानकों के मामले में निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक होने पर, एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट जारी करता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और

सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योगों द्वारा तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावा, सीपीसीबी प्रदूषण की संभावना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों/कार्यकलापों को रंग-कोडित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करता है। वर्ष 2025 के दौरान, सीपीसीबी ने क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरे, सफेद और नीले श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकरण पद्धति को संशोधित किया है। वर्गीकरण-2025 में किसी भी क्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रोत्साहन तंत्र शामिल है जो 100% स्वच्छ ईंधन/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग इत्यादि और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को अपनाती हैं। इससे बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन होगा और औद्योगिक प्रदूषण कम होगा।

एसपीसीबी/पीसीसी, जल अधिनियम, 1974 के अलावा वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार, पूर्व सहमति (स्थापना के लिए सहमति/संचालन के लिए सहमति) प्रदान करने के लिए उद्योगों पर उत्सर्जन मानक लागू करते हैं।

*****